# न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्या : 120/2025/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांक : 24.03.2025
अन्तर्गत धारा : 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

## उनवान

1. रामलाल आत्मज हरनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेडा, जिला बून्दी
2. जौरूलाल आत्मज़ हरनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम गामछ तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी

....अपीलार्थी

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील के0पाटन, जिला बून्दी

.....रस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री तृप्ति गौरव बाहेती अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

**::निर्णय::**

**दिनांक 16.06.2025**

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 116/प्रार्थना–पत्र/2016 बउनवान सरकार बनाम रामलाल वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 04.07.2023 के विरूद्ध यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार के0पाटन के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 89 (7) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रस्तुत कर कथन किया कि तहसील के. पाटन के ग्राम गुडला की आराजी खसरा नं0 686 रकबा 3.62 हैक्टेयर किस्म चारागाह स्थित है, जो ग्राम के पशुओं के चरने के लिए निर्धारित की हुई है। अप्रार्थीगण रामलाल वगैराह दिनांक 21.06.2016 को उक्त चरागाह भूमि में एलटी मशीन से मिट्टी की खुदाई करते हुये पाये गये। अप्रार्थीगण ने उक्त चारागाह भूमि खसरा नं. 686 में से (नजरी नक्शा में दर्शित A B C क्षेत्र में) 10032 घनमीटर भूमि पर अवैध रूप से एलटी मशीन द्वारा मिट्टी खुदाई कर बेच डाली है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुसार उक्त भूमि की बी.एस. आर. दर के अनुसार

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

चुराई गई मिट्टी की कीमत रू. 3,51,120/– है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त मिट्टी खुदाई की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं की है। ऐसे में अप्रार्थीगण की एलटी मशीन जप्तराज कर थाना के. पाटन की सुपुर्दी में दी गई, जो थाना के. पाटन में सुरक्षित खडी करवाई गई। उक्त एलटी मशीन जिसके द्वारा अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया गया, के स्वामी का नाम जोधराज सिंह आ. घनश्याम सिंह जाति राजपूत निवासी हरिओम नगर रोड, कोटा है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 89(7) एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही स्वीकार की जाकर अवैध रूप से खुदाई कर चुराई गई 10032 घनमीटर मिट्टी की बी.एस.आर. दर से राशि 3,51,120/– रूपये की वसूली तथा इतनी ही राशि की शास्ति आरोपित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आशय के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार करते हुए ग्राम गुडला की आराजी खसरा नं0 686 रकबा 3.62 हैक्टेयर किस्म चरागाह भूमि में से अप्रार्थीगण रामलाल वगैराह द्वारा गैर कानूनी रूप से खोदी गई 10032 घनमीटर मिट्टी की बी.एस.आर. दर से राशि 3,51,120/– रूपये की वसूली किये जाने के आदेश दिये जाकर तहसीलदार के. पाटन उक्त राशि वसूली की नियमानुसार कार्यवाही करे तथा पालना रिपोर्ट प्रेषित रिपोर्ट प्रेषित किये जाने का निर्णय दिनांक 04.07.2023 पारित किया गया।

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.07.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो० का प्रार्थना पत्र धारा 89(7) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर अपीलार्थी के उपर गैर कानूनी रूप से मिटटी खोदने का आरोप मान कर 10032 घनमीटर मिटटी की बीएसंआर दर से 3,51,120/– रूपये की वसूली के आदेश पारित करने में विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के इस कथन पर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलार्थी ग्राम गुडला की खसरा नम्बर 686 की 3.62 हेक्टर भूमि के खातेदार नहीं है, उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, उक्त भूमि से अपीलार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा अपीलार्थी ने उक्त भूमि में किसी प्रकार की मिटटी की खुदाई नहीं की और न मिटटी का किसी को बेचान किया। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को मिटटी खोदने का दोषी मान कर वसूली का आदेश पारित किया है, वह अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

उनके समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2016 में मौके पर पटवारी हल्का गुडला पहुंचे तो उन्होने पाया कि एक जेसीबी एलएनटी मशीन ख०न0 686 में खडी हुई है तथा आस–पास काफी मिटटी खोदी हुई पडी है, मौके पर मशीन को जब्त कर लिया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी का कहीं भी नाम अंकित नहीं है और न यह लिखा गया है कि अपीलार्थी को मिटटी खोदते हुये देखा हो। इसके बावजूद भी अपीलार्थी को आरोपित मानकर रकम वसूली का आदेश पारित करने में त्रुटि की है। उक्त जेसीबी मशीन का मालिक जोधराज है और उसने अधीनस्थ न्यायालय में मशीन को छुडाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया था जो जमानत व सुपुर्दगी पर जोधराज को दी हुई है, उक्त मशीन मालिक ने भी अपीलार्थी को उक्त मशीन से खुदाई करने बाबत अथवा मशीन किराये पर देने बाबत कोई कथन नहीं कहे इस आधार पर अपीलार्थी बिलकुल निर्दोष है। इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र अपीलार्थी के विरूद्ध खारिज करना चाहिये था, जिसे खारिज न कर हुक्म जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि जांच के दौरान बीरबल बिश्नोई नोर्दर्न बाई पास परियोजना कोटा के सुपरवाईजर द्वारा बताया गया कि मशीन के मालिक जोधराज सिंह है, इस आधार पर मशीन मालिक के खिलाफ कार्यवाही किया जाना चाहिये था किन्तु मशीन मालिक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी तथा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा बताया गया कि खुदाई करवाने वाले व्यक्ति अपीलार्थी है, जबकि अपीलार्थी ने कोई मिटटी नहीं खुदवाई और न मिटटी नोर्दर्न बाई पास परियोजना कोटा को बेचान की। अपीलार्थी ने कोई मिटटी सप्लाई करने का भी ठेका नहीं लिया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.07.2023 निरस्त फरमाया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ग्राम गुडला की खसरा नम्बर 686 की 3.62 हेक्टर भूमि के खातेदार नहीं है, उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, उक्त भूमि से

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

अपीलार्थी का कोई सम्बन्ध नहीं है तथा अपीलार्थी ने उक्त भूमि में किसी प्रकार की मिटटी की खुदाई नहीं की और न मिटटी का किसी को बेचान किया। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2016 में मौके पर पटवारी हल्का गुडला पहुंचे तो उन्होने पाया कि एक जेसीबी एलएनटी मशीन ख०न0 686 में खडी हुई है तथा आस–पास काफी मिटटी खोदी हुई पडी है, मौके पर मशीन को जब्त कर लिया गया। उक्त मौका रिपोर्ट में अपीलार्थी का कहीं भी नाम अंकित नहीं है और न यह लिखा गया है कि अपीलार्थी को मिटटी खोदते हुये देखा हो। उक्त जेसीबी मशीन का मालिक जोधराज है और उसने अधीनस्थ न्यायालय में मशीन को छुडाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया था जो जमानत व सुपुर्दगी पर जोधराज को दी हुई है, उक्त मशीन मालिक ने भी अपीलार्थी को उक्त मशीन से खुदाई करने बाबत अथवा मशीन किराये पर देने बाबत कोई कथन नहीं कहे इस आधार पर अपीलार्थी बिलकुल निर्दोष है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जोधराज को पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि मशीन के मालिक जोधराज सिंह है। इस आधार पर मशीन मालिक के खिलाफ कार्यवाही किया जाना चाहिये था किन्तु मशीन मालिक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी तथा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा बताया गया कि खुदाई करवाने वाले व्यक्ति अपीलार्थी है, जबकि अपीलार्थी ने कोई मिटटी नहीं खुदवाई और न मिटटी नोर्दर्न बाई पास परियोजना कोटा को बेचान की। अपीलार्थी ने कोई मिटटी सप्लाई करने का भी ठेका नहीं लिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध कोई साक्ष्य एवं सबूत नहीं थे तथा राजनीतिक द्वेषतावश अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.07.2023 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होना प्रकट करते हुए अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया।

6. प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डौन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रकरण का गुणावगुण पर सुना जाकर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। प्रकरण में रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

7. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एवं आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.07.2016 अनुसार जोधराज सिंह के वकील श्री प्रमोद बाकलीवाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर कथन किया गया था कि "तहसीलदार के0पाटन द्वारा जप्त की गई एलटी मशीन आर220 एलसी7 हुण्डई हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का मालिक जोधराज सिंह है। मशीन मालिक को उक्त मशीन जप्त किये जाने से आय की हानि हो रही है तथा मशीन के खराब होने की संभावना है अतः धारा 89(7) राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट में निर्धारित पेनल्टी राशि अधिकतम 1000/– जमा करवाने के लिए मशीन मालिक तैयार है। मशीन मालिक को जमानत सुर्पुदगी में दिये जावे"। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेशिका दिनांक 01.08.2016 अनुसार उक्त जप्त शुदा मशीन जमानत पर मशीन मालिक को लौटाये जाने के आदेश दिये गये। इस प्रकार अपीलार्थी के इस कथन की पुष्टि नहीं होती है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जोधराज सिंह को नहीं सुना गया। प्रकरण में पटवारी मौका पर्चा दिनांक 21.06.2016 अनुसार उल्लेख किया गया कि "मौके पर पटवारी हल्का गुडली सहित पहुंच कर देखा तो पाया गया कि एक जेसीबी खसरा सं0 686 में खड़ी हुई पायी गई तथा आस–पास काफी मिट्टी खोदी हुई पायी गई।" जिस पर पूर्व सरपंच एवं वर्तमान सरपंच के हस्ताक्षर अंकित हैं। इस प्रकार मौके पर ही सूचना प्राप्ति के उपरांत मशीन जप्त की गई। इसके उपरांत पटवारी, पटवार मण्डल गुडली के द्वारा प्रकरण में दिनांक 28.06.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम गुडला के खसरा सं0 686 रकबा 3.62 है0 चारागाह में दिनांक 21.06.2016 को अवैध मिट्टी खुदाई करते हुई एलटी मशीन पायी गई, उक्त मशीन से मिट्टी खुदाई करवाने वाले व्यक्ति रामलाल पुत्र हरनाथ एवं जोरूलाल पुत्र हरनाथ गुर्जर निवासी गामछ तहसील तालेड़ा के हैं। साथ ही नोर्दन बाईपास परियोजना के सुपरवाईजर द्वारा बताया गया कि उक्त एलटी मशीन के मालिक जोधराज सिंह पुत्र घनश्याम सिंह जाति

राजपूत निवासी हरिओम नगर, रंगबाडी, कोटा है। उक्त रिपोर्ट पर भी नोर्दन बाईपास के सुपरवाईजर, वर्तमान सरपंच एवं पूर्व सरपंच के हस्ताक्षर मौजूद हैं। जप्त की गई एलटी मशीन के संबंध में स्वयं जोधराज सिंह के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05.07.2016 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.07.2023 में किये गये विवेचन से होती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार के0पाटन द्वारा प्रेषित कार्यवाही के संलग्न मौका फर्द में हल्का पटवारी गुडली, नायब तहसीलदार के0पाटन, सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ली, पूर्व सरपंच सहित अन्य ग्रामवासियों/मौतबिरान के हस्ताक्षर से चारागाह भूमि पर उक्त अवैध मिट्टी खुदाई की पुष्टि होने के उपरांत ही निर्णय दिनांक 04.07.2023 पारित किया जाना प्रकट होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8. निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा